

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 सितम्बर 2024-भाद्र 18, शक 1946

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2024

क्रमांक/For/2/0003/2024/दस-2-यतः, राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्र. 15-7-83-दस-2, दिनांक 4 जून, 1983, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून, 1983 में प्रकाशित हुई थी, के अनुसरण में, ग्राम सैलाना (शिकारवाड़ी) 354.570 हेक्टेयर, ग्राम शेरपुर 90.161 हेक्टेयर तथा वनखण्ड पुन्याखेड़ी के 851.81 हेक्टेयर क्षेत्र, इस प्रकार कुल 1296.541 हेक्टेयर या 12.96 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को सैलाना "खरमोर पक्षी" (लेसर फ्लोरिकन) अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया था।

अतएव, वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य अधिनियम, 1972(1972 का 53) की धारा 18 की उप-धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, समस्त सक्षम अनुमतियां प्राप्त करने के उपरांत, राज्य सरकार, अधिसूचना दिनांक 4 जून, 1983 में आंशिक संशोधन के माध्यम से, एतद्वारा, परिशिष्ट-एक में यथा उल्लिखित ग्राम सैलाना (शिकारवाड़ी) के 354.570 हेक्टेयर क्षेत्र में से 304.350 हेक्टेयर क्षेत्र या 3.043 वर्ग किमी निजी भूमि/राजस्व भूमि खाता धारक क्षेत्र को अभ्यारण्य से पृथक करती है, जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अभ्यारण्य नहीं रहेगा। फलस्वरूप, वन्यजीव तथा खरमोर पक्षी के संरक्षण, वंशवृद्धि तथा पर्यावरण के विकास के प्रयोजन के लिए वनखण्ड पुन्याखेड़ी वनकक्ष-क्रमांक पी-168 रकबा 363.07 हेक्टेयर तथा पी-172 रकबा 127.32 हेक्टेयर को परिशिष्ट-दो में यथा उल्लिखित सैलाना अभ्यारण्य के ग्राम सैलाना (शिकारवाड़ी) शासकीय राजस्व क्षेत्र 50.22 हेक्टेयर, ग्राम शेरपुर शासकीय राजस्व/निजी क्षेत्र 90.161 हेक्टेयर तथा वनखण्ड पुन्याखेड़ी वनकक्ष क्रमांक पी-169, पी-170, पी-171 के शेष क्षेत्रों में समायोजित कर 1394.161 हेक्टेयर अथवा 13.94 वर्ग किमी क्षेत्र को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में जारी किए जाने की तारीख से "सैलाना खरमोर पक्षी (लेसर फ्लोरिकन) अभ्यारण्य" के रूप में घोषित किया जाएगा। क्षेत्र के विवरण निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

सैलाना अभ्यारण्य के संशोधित वन क्षेत्र का विवरण**भाग-1**

अभ्यारण्य का नाम	सैलाना अभ्यारण्य
जिला	रतलाम
वनमंडल	रतलाम (सामान्य)
वन परिक्षेत्र	सैलाना
तहसील	पिपलौदा, सैलाना
वनखण्ड	पुन्याखेड़ी
क्षेत्रफल योग	संरक्षित वन 1253.780 हेक्टेयर 12.53 वर्ग किमी

सैलाना अभ्यारण्य की संशोधित सीमाओं का विवरण

उत्तर	-	वनखण्ड पुन्याखेड़ी, वनकक्ष क्रमांक पी-173 वन सीमा मुनारा क्र. 75 से वनकक्ष क्रमांक पी-170 वन सीमा मुनारा क्र. 86 तक।
पूर्व	-	वनखण्ड पुन्याखेड़ी, वन कक्ष क्र. पी-170 वन सीमा मुनारा क्रमांक 86 से वनकक्ष क्र. पी-169 वन सीमा मुनारा क्रमांक 125, तथा वनकक्ष क्रमांक पी-167, 168 एवं पी-169 प्राकृतिक नाले के मध्य तथा मुनारा क्र. 420 तक।
दक्षिण	-	वनखण्ड पुन्याखेड़ी, वनकक्ष क्रमांक पी-168, वन सीमा मुनारा क्रमांक 420 से मुनारा क्रमांक 452 तक।
पश्चिम	-	वनखण्ड पुन्याखेड़ी, वनकक्ष क्रमांक पी-168, वन सीमा मुनारा क्रमांक 452 से वनकक्ष क्रमांक पी-173, वन सीमा मुनारा क्रमांक 75 तक।

भाग-2

अभ्यारण्य का नाम	सैलाना अभ्यारण्य (ग्राम शेरपुर)
जिला	रतलाम
वनमंडल	रतलाम (सामान्य)
वन परिक्षेत्र	सैलाना
तहसील	पिपलौदा
राजस्व/निजी भूमि क्षेत्रफल	90.161 हेक्टेयर

सैलाना अभ्यारण्य की संशोधित सीमाओं का विवरण

उत्तर	ग्राम शेरपुर के कृषकों की निजी भूमि।
पूर्व	ग्राम शेरपुर के कृषकों की निजी भूमि।
दक्षिण	ग्राम शेरपुर के कृषकों की निजी भूमि।
पश्चिम	ग्राम शेरपुर के कृषकों की निजी भूमि।

भाग-3

अभ्यारण्य का नाम	-	सैलाना अभ्यारण्य ग्राम सैलाना (शिकारवाड़ी भाग-क, भाग-ख)
जिला	-	रतलाम
वनमंडल	-	रतलाम (सामान्य)
वन परिक्षेत्र	-	सैलाना
तहसील	-	सैलाना
शासकीय क्षेत्रफल	राजस्व	- 50.22 हेक्टेयर

सैलाना अभ्यारण्य की संशोधित सीमाओं का विवरण

उत्तर	-	ग्राम सैलाना (शिकारवाड़ी) के कृषकों की निजी कृषि भूमि।
पूर्व	-	ग्राम सैलाना (शिकारवाड़ी) के कृषकों की निजी कृषि भूमि।
दक्षिण	-	ग्राम सैलाना (शिकारवाड़ी) के कृषकों की निजी कृषि भूमि।
पश्चिम	-	ग्राम सैलाना (शिकारवाड़ी) के कृषकों की निजी कृषि भूमि।
कुल अभ्यारण्य क्षेत्रफल		
1.	वनखण्ड पुन्याखेड़ी (भाग-1)	1253.780 हेक्टेयर
2.	शासकीय राजस्व/निजी भूमि ग्राम शेरपुर (भाग-2)	90.161 हेक्टेयर
3.	शासकीय राजस्व भूमि ग्राम सैलाना (शिकारवाड़ी) भाग-3 (भाग-क, भाग-ख)	50.220 हेक्टेयर
	योग	1394.161 हेक्टेयर

परिशिष्ट - एक

सैलाना खरमोर पक्षी अभ्यारण्य से पृथक की गई निजी भूमि/भूमि खाता धारक का विवरण

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.	सैलाना (शिकारवाड़ी)	1676	304.350
		1685	
		1686	
		1687	
		1689	
		1690	
		1691	
		1692 भाग "1 से 4 " (1692/2 क्षेत्र को छोड़कर)	
		1693	
		1694 भाग "2 से 4 "	
		1697 भाग "1 से 171 " (1697/2, 1697/4/1, 1697/4/2, 1697/4/3 क्षेत्र को छोड़कर)	
		1702	
1703			
	कुल क्षेत्रफल	304.350 हेक्टेयर	

परिशिष्ट - दो

नवीन प्रस्तावित सैलाना अभ्यारण्य (क्षेत्रफल हेक्टेयर में.)

भाग-1 (वन क्षेत्र)					
क्रमांक	वनखण्ड	वन क्षेत्र (आरक्षित/संरक्षित)	पुराना वन कक्षा क्रमांक	नया वन कक्षा क्रमांक	क्षेत्रफल
1.	पुन्याखेड़ी	संरक्षित क्षेत्र	458	पी-168	363.07
2.	पुन्याखेड़ी	संरक्षित क्षेत्र	459	पी-169	201.37
3.	पुन्याखेड़ी	संरक्षित क्षेत्र	460	पी-170	344.98
4.	पुन्याखेड़ी	संरक्षित क्षेत्र	461	पी-171	217.04
5.	पुन्याखेड़ी	संरक्षित क्षेत्र	462	पी-172	127.32
भाग-1				कुल क्षेत्रफल	1253.78 हेक्टेयर
भाग-2 (शासकीय राजस्व/निजी क्षेत्र)					
क्रमांक	तहसील	शासकीय राजस्व क्षेत्र	पुराना सर्वे न.	नया सर्वे न.	क्षेत्रफल
06	पिपलौदा	ग्राम शेरपुर	शासकीय 573	शासकीय 951	9.500
			शासकीय 575	शासकीय 861	6.119
			शासकीय 578/1	शासकीय 858	71.710
				शासकीय राजस्व क्षेत्र योग	87.329
			निजी 576	निजी 860	0.809
			निजी 577	निजी 859	2.023
				निजी भूमि योग:-	2.832
भाग-2				कुल क्षेत्रफल	90.161 हेक्टेयर
भाग-3 (शासकीय राजस्व क्षेत्र)					
7.	सैलाना	ग्राम सैलाना (शिकारवाड़ी) भाग-क	1692/2	-	6.200
			1694/1	-	1.080
			1695	-	1.300
			1696	-	4.900
				योग	13.480 हेक्टेयर
8.	सैलाना	ग्राम सैलाना (शिकारवाड़ी) भाग-ख	1697/2	-	9.800
			1697/4/1	-	4.010
			1697/4/2	-	20.330
			1697/4/3	-	2.600
				योग :	36.740 हेक्टेयर
				भाग-3 का कुल क्षेत्रफल :	50.22 हेक्टेयर
				महायोग :	1394.161 हेक्टेयर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2024

क्र. For-2-0003-2024-दस-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के नियम क्रमांक For-2-0003-2024-दस-2, दिनांक 9 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 9th September 2024

No.For/2/0003/2024/X-2.- Whereas, the State Government, in pursuance of this department's Notification No. 15-7-83-X-2 dated 4th June, 1983, which was published in the Madhya Pradesh dated 24th June, 1983 had declared the Village Sailana (Shikaruadi) 354.570 hectare, Village Sherpur 90.161 hectare and 851.81 hectare area of forest block Puniyakhedi, thus a total of 1296.541 hectare or 12.96 sq.km area as Sailana "Kharmor Bird" (Lesser Floricans) Sanctuary;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), after getting all the competent permissions, State Government, through partial amendment in the notification dated 4th June, 1983, hereby, excludes area of village Sailana (Shikarwadi) area of 304.350 hectare out of 354.570 hectare area or 3.043 Sq. Km. private land/ revenue land account holder area from Sanctuary which shall cease to be Sanctuary with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, as mentioned in Annexure-I. Consequently, for the purpose of protecting, propagating and developing the environment of wildlife and Kharmor Bird, by adjusting the part of forest block Puniyakhedi having new compartment No. P-168 area 363.07 hectare and P-172 area 127.32 hectare and in remaining areas of Village Sailana (Shikarwadi) Government revenue area 50.22 hectare, Village Sherpur Government revenue/private area 90.161 hectare and forest block Puniyakhedi compartment No. P-169, P-170, P-171 of Sailana Sanctuary area 1394.161 hectare or 13.94 Sq. Km. shall be declared as "Sailana Kharmor Bird (Lesser Floricans) Sanctuary" as mentioned in Annexure-II from the issue of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette. The details of the area are as follows, namely:-

Details of the modified forest area of Sailana Sanctuary**Part-1**

Name of Sanctuary	Sailana Sanctuary
District	Ratlam
Forest Division	Ratlam(Territorial)
Range	Sailana
Tehsil	Piplod, Sailana
Forest Block	Puniyakhedi
Area	Protected Forest 1253.78 Hectare 12.53 Sq.Km.

Details of Modified Boundaries of the Sailana Sanctuary

North	-	Forest block Puniyakhedi, compartment No. P-173, forest boundary pillar No. 75 to compartment No. P-170 forest boundary pillar No. 86.
East	-	Forest block Puniyakhedi, compartment No. P-170, forest boundary pillar No. 86 to compartment No. P-169, forest boundary pillar No. 125 and then compartment No. P-167, 168 and 169 in between natural nala and pillar No. 420.
South	-	Forest block Puniyakhedi, compartment No. P-168, forest boundary pillar No. 420 to pillar No. 452.
West	-	Forest block Puniyakhedi, compartment No. P-168, forest boundary pillar No.452 to compartment No. P-173, forest boundary pillar No. 75.

Part-2

Name of Sanctuary	Sailana Sanctuary (Village Sherpur)
District	Ratlam
Forest Division	Ratlam(Territorial)
Range	Sailana
Tehsil	Piploda
Revenue/Private Area	90.161 Hectare

Details of Modified Boundaries of the Sailana Sanctuary

North	-	Private land of farmers of Village Sherpur.
East	-	Private land of farmers of Village Sherpur.
South	-	Private land of farmers of Village Sherpur.
West	-	Private land of farmers of Village Sherpur.

Part-3

Name of Sanctuary	Sailana Sanctuary Village Sailana (Shikarwadi Part-A, Part-B)
District	Ratlam
Forest Division	Ratlam (Territorial)
Range	Sailana
Tehsil	Sailana
Government Revenue Area	50.22 Hectare

Details of Modified Boundaries of the Sailana Sanctuary

North	-	Private land of farmers of Village Sailana (Shikarwadi).
East	-	Private land of farmers of Village Sailana (Shikarwadi).
South	-	Private land of farmers of Village Sailana (Shikarwadi).
West	-	Private land of farmers of Village Sailana (Shikarwadi).

Total Sanctuary Area		
1.	Forest block Puniyakhedi (Part-1)	1253.780 Hectare
2.	Government revenue/Private land Village Sherpur (Part-2)	90.161 Hectare
3.	Government revenue land Village Sailana (Shikarwadi Part-3(Part-A, Part-B))	50.220 Hectare
Total		1394.161 Hectare

ANNEXURE-I

Details of the area of private land/land account holder excluded from the Sailana Kharmor Bird Sanctuary

S. No.	Name of Revenue Village	Khasra No.	Area (Hectare)
1.	Sailana (Shikarwadi)	1676	304.350
		1685	
		1686	
		1687	
		1689	
		1690	
		1691	
		1692 Part *1 to 4 * (except 1692/2 area)	
		1693	
		1694 part *2 to 4 *	
		1697 Part *1 to 171 * (except 1697/2, 1697/4/1, 1697/4/2 1697/4/3 area)	
		1702	
		1703	
		Total Area	304.350 Hectare

Annexure-II

New Proposed Sailana Sanctuary (Area in hectare)
Part-I (Forest Area)

S. No.	Forest Block	Forest Area (Reserved/ Protected)	Old Compartment No.	New Compartment No.	Area
1.	Puniyakhedi	Protected Area	458	P-168	363.07
2.	Puniyakhedi	Protected Area	459	P-169	201.37
3.	Puniyakhedi	Protected Area	460	P-170	344.98
4.	Puniyakhedi	Protected Area	461	P-171	217.04
5.	Puniyakhedi	Protected Area	462	P-172	127.32
Part-I Total Area					1253.78 Hectare

Part-2 (Government Revenue/Private Area)

S. No.	Tehsil	Government Revenue Area	Old Survey No.	New Survey No.	Area
6.	Piploda	Village Sherpur	Government 573	Government 951	9.500
			Government 575	Government 861	6.119
			Government 578 / 1	Government 858	71.710
			Government Revenue Area total		87.329
			Private 576	Private 860	2.023
			Private 577	Private 859	0.809
			Private Area total		2.832
Part-2 Total Area					90.161 Hectare

Part-3 (Government Revenue Area)

7	Sailana	Village Sailana (Shikarwadi) Part-A	1692 / 2	-	6.200
			1694 / 1	-	1.080
			1995	-	1.300
			1996	-	4.900
Total					13.480 Hectare
8	Sailana	Village Sailana (Shikarwadi) Part-B	1697 / 2	-	9.800
			1697 / 4 / 1	-	4.010
			1697 / 4 / 2	-	20.330
			1697 / 4 / 3	-	2.600
Total					36.740 Hectare
Part-3 Total Area					50.22 Hectare
Grand Total					1394.161 Hectare

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.